

परीक्षा निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता (सेट) परीक्षा – 2017

1. परीक्षा की तिथि – 17 सितंबर 2017, रविवार,
2. परीक्षा का समय : –
प्रथम सत्र – **Paper –I** – पूर्वान्ह 9:30 बजे से 10:45 बजे तक
Paper –II – पूर्वान्ह 11:15 बजे से 12:30 बजे तक
द्वितीय सत्र – **Paper – III** – अपरान्ह 2:00 बजे से 4:30 बजे तक
3. परीक्षा केन्द्र : 05 संभागीय मुख्यालयों में – अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रायपुर
4. परीक्षा शुल्क –
सामान्य वर्ग – 350 / –
अन्य पिछड़ा वर्ग – 250 / –
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन – 200 / –
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 22.07.2017 (शनिवार)
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि – 11.08.2017 (शुक्रवार), रात्रि 11:59 बजे तक

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	कोड नंबर
1	अम्बिकापुर (सरगुजा)	11
2	बिलासपुर	13
3	दुर्ग	16
4	जगदलपुर (बस्तर)	17
5	रायपुर	25

टीप – त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा ।

परीक्षा के दिन उत्तरशीट (Answer Sheet) में श्रेणी (Category), वर्ग (Class), जन्म तिथि (Date Of Birth), लिंग (Gender) आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।

ध्यान रहे –

1. 3.5 से.मी. चौड़ाई x 4.5 से.मी. लंबाई का फोटो, जिसका अधिकतम साइज 50 kb का एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, फोटो, हस्ताक्षर, नाम तथा अंगूठा निशान इन चारों को एक ही पेपर पर निर्दिष्ट स्थान पर (मिले हुए फार्मेट में) रखकर स्कैन (SCAN) कराकर JPEG फाईल के रूप में सेव (Save) करके रखें ।
2. शुल्क अदायगी के लिए बैंक का डेबिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड)/क्रेडिट कार्ड /इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होना आवश्यक होगा, अतः सम्बंधित पासवर्ड एवं अन्य जानकारी तैयार रखें ।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :- आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम देखें । केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय प्रवेश नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है ।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM – SET17” लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है ।

3. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग एक सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं । परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । काउंसलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा । एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा ।

4. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर केवल 22.07.2017 से 11.08.2017 तक संपर्क कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के “Syllabus for- SET17” लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये ।

परीक्षा समन्वयक केन्द्रों के नाम

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	फोन नंबर
1.	अम्बिकापुर	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774-230921
2.	बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर,	07752-246430
3.	दुर्ग	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा.,दुर्ग	0788-2211688
4.	जगदलपुर	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
5.	रायपुर	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131

6. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं-

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट स्पष्ट न हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन ।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, वोटर आई डी, दसवीं की अंकसूची लेकर ही परीक्षा केन्द्र में जावें, जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके । **मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा ।**

नोट- अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाईल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

7. परीक्षा पद्धति :-

सेट की परीक्षा में तीन प्रश्न पत्र होंगे । सभी प्रश्न पत्र में केवल बहुउत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ।

सत्र	प्रश्न पत्र	अंक	प्रश्नों की संख्या	समयावधि
प्रथम	I	100	60 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा	1¼ Hours (09.30 A.M. to 10.45 A.M.)
प्रथम	II	100	50 प्रश्न – सभी अनिवार्य	1¼ Hours (11.15 A.M. to 12.30 NOON)
द्वितीय	III	150	75 प्रश्न – सभी अनिवार्य	2½ Hours (02.00 P.M. to 4.30 P.M.)

Paper I- यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है जिसमें अभ्यर्थी के पठन-पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को ऑकलन के लिए तथा अभ्यर्थी की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षण के लिए प्रश्न पूछे जावेंगे। इस प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा किन्ही 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है । यदि अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रश्न से अधिक का उत्तर दिया जाता है तो प्रथम 50 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जायेगा । प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक निर्धारित होंगे ।

Paper II- इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जावेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिये 02 अंक है ।

Paper III- इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 75 प्रश्न पूछे जावेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिये 02 अंक है ।

प्रश्न पत्र II एवं III में सभी प्रश्न अनिवार्य है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम (सभी इलेक्टिव सहित) सम्मिलित रहेगा ।

तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर दिये गये ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर अंकित करना होगा । ओ.एम.आर. उत्तरशीट भरने संबंधी विस्तृत निर्देश व्यापम के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है । यह ध्यान रखा जावे कि अभ्यर्थी को कोई भी निर्देश डाक के माध्यम से नहीं भेजा जायेगा ।

8. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे । उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर दो अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जाएंगे।

9. दावा/आपत्ति के निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात् मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है । यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) स्वयं उपस्थित होकर, डाक के माध्यम से या व्यापम के ईमेल आई.डी. cgvyapam@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते हैं । बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा । प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है । व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

10. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं।

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

11. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है ।

12. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

13. UGC Guide line –

PROCEDURE AND CRITERIA FOR DECLARATION OF RESULT

Qualifying Criteria for Eligibility for Assistant Professor

It has been decided by the UGC that 6% of the appearing candidates should be declared qualified for Eligibility for Assistant Professor.

The following methodology is prescribed for qualifying candidates for Eligibility for Assistant Professor:

- i) In order to be considered for eligibility for Assistant Professor, the candidates must have appeared in all the three papers and secured at least 40% aggregate marks in all the three papers taken together for General Category candidates and at least 35% aggregate marks in all the three papers taken together for all candidates belonging to reserved categories, viz., SC, ST, OBC (belonging to Non Creamy Layer), and PWD.
- ii) To cite a hypothetical example, if say 600000 candidates appear in UGC-NET, 6% of those, i.e., 36000 qualifying slots for Eligibility for Assistant Professor are to be earmarked for ~~different categories~~ as per Government of India policy in this regard.
- iii) **FOR NET:** As per Government of India reservation policy, a minimum of 27%, 15%, 7.5% and 3% of slots are reserved for the OBC (belonging to Non Creamy Layer), SC, ST and Persons with disabilities (PWD) respectively in respect of **NET**. Accordingly, the category-wise slots available for each category are as follows:

OBC (Non-creamy layer))	27.00%	9720
SC	15.00%	5400
ST	7.5%	2700
PWD	3.00%	1080
GEN (Unreserved)	47.50%	17100
TOTAL		36000

FOR SET: Similarly, as presented in the above table, the category-wise slots for each category as per the reservation policy prevalent in the State are to be computed for Eligibility of Assistant Professor in respect of **SET**. To cite a hypothetical example for SET, say 1,20,000 candidates register and out of these 1,00,000 actually appear. Then, the number of qualifying candidates would be 6% of 1,00,000 which is equal of 6,000. These 6,000 candidates would be distributed among various categories as per the reservation policy of the concerned State Government.

- iv) The calculation is based on the ratio of number of candidates who secure minimum aggregate percentage of marks as prescribed in (i) above in each subject category-wise to the total number of candidates of that category over all subjects fulfilling (i) above multiplied by the total number of slots to be awarded to that category. The nearest whole number obtained as per this formula provides the number of slots available in any particular subject category-wise.
- v) By this method, if the number of slots obtained is less than one, it is taken as one, i.e., a minimum of one slot is awarded wherever a fraction less than one is obtained as per the calculation. However, for fractions greater than one, the figure is rounded off to the nearest whole number.
- vi) The aggregate percentage of all the three papers corresponding to the number of slots derived as per the previous paragraph is taken as the cut-off qualifying percentage marks for a particular subject category-wise.

Further, it is informed that for the purpose of notification, the following may be incorporated in the notifications for future SET examinations, replacing the existing qualifying criteria:

“Criteria for Declaration of Result

This will comprise of the following:

Top 6% of the appearing candidates who appear in all three papers and secure at least 40% aggregate marks for candidates belonging to General Category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved categories will be declared qualified for Eligibility for Assistant Professor by following the reservation policy of the State Government.

It may be noted that the above qualifying criteria is final and binding.”

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर